


न्यायालय श्रीमान् मोर्प्पराजस्व मण्डल मोती महल गवालियर ₹मोर्प्प०



R - 1446 - V/108

मन्नू लाल माधवानी तनय कीमतमल माधवानी
संजय कुमार माधवानी तनय मन्नूमल माधवानी
अजय कुमार माधवानी तनय मन्नूमल माधवानी
बिजय कुमार तनय मन्नू लाल माधवानी
अन्य 17 छु 2। निवासी मोहल्ला तोपखाना रीवा, तहसील
द्वजूर, जिला रीवा ₹मोर्प्प० ————— अपीलार्थीगण

बनाम

मोर्प्पशासन

————— प्रत्यक्षी

अपील बिल्ड आदेश अपर कमिशनर महोदय
रीवा संभागरीवा मोर्प्पके अपील प्रकरण
क्रमांक- 153/अपील/04-05 मे पारित आदेश
दिनांक 14-2-2008 के बिल्ड अन्तर्गत
धारा 47 § 28 § 3 स्टाम्प शेक्ट के अधीन
अपील

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त तथ्य-

यह कि अपीलार्थीगणों के द्वारा दस्तावेज का निष्पादन
कराकर बिल्य पत्र कीकीमत 300000/-रुपये मे 29625/-रुपये का मुद्रांक
मुल्क वस्त्या किया गया लेकिन बाद मे उप पंजीयक महोदय रीवा /
स्टाम्प लैकटर द्वारा पुनः बिना सूचना व सुनवायी का अवसर
दिये वगेर उक्त बिल्य पत्र का प्रस्ताचित मूल्य 168453/-रुपये का
कभी मुद्रांक मुल्क वस्त्याहेतु मुद्रांक मुल्क 1,30,888/-रुपये ६ जमा
किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया । जिससे पीड़ित होकर
अपर आयुक्त महोदय रीवा क्रेन्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी
जो अपील भी निरस्त कर दी गयी जिससे उक्त आदेश के बिल्ड

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
 मन्त्रूलाल माधवनी | मठ प्र० शासन
 अनुबृति आदेश वृष्ट

प्रकरण क्रमांक R 1446। ॥०८

जिला शिक्षा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाबक आदि के दस्तावेज़
5-04-2016	<p>यह प्रकरण मेरे द्वारा सुना जाकर आदेशार्थ नियत किया गया था ; मेरा स्थानांतरण हो जाने से आदेश पारित नहीं किया जा सका है। अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।</p> <p>पेशी दिनांक— 10. 8. 16</p> <p style="text-align: center;">5</p>	 (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य
<u>12/5/16</u>	<p>मानक इनामाएँ नहीं— सुनिता नंद परेल उपर्युक्त नियमों का अनुसार उनके विवरनों के अनुसार— जिनमें हैं कि वे मानव विकास के नियमों विवाह वाहनों/ जन. आनंदक विवरणों के अनुसार वे विवाह विवरणों के अनुसार जिनमें हैं।</p> <p style="text-align: right;">संक्षिप्त</p> <p style="text-align: right;">12/5</p> <p style="text-align: left;">✓</p>	